06/5/24 पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उप.।
वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगणों की तामील पेश
करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जा चुका है।
लेकिन पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद
भी आज दिनांक तक तामील की रसीद पेश
नही की। अतः प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा
212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत
आदेश 9 नियम 5 के तहत खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बरान से कम
होकर दाखिल दफ्तर हो।

[signature]